

पत्रांक -3/एम०-43/2026सा०प्र०...8990.../

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्दर  
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, बिहार,  
पुलिस महानिदेशक, बिहार, / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।  
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / आरक्षी महानिरीक्षक /  
आरक्षी उप महानिरीक्षक, बिहार /  
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बिहार  
सभी जिला पदाधिकारी, सभी वरीय पुलिस अधीक्षक /  
पुलिस अधीक्षक / वन प्रमंडल पदाधिकारी।

पटना-15, दिनांक...20.05.26

विषय:- बिहार दर्शन के संबंध में।

महाशय,

बिहार विविधताओं से सम्पन्न राज्य है, जहाँ अलग-अलग स्थानों पर समृद्ध कला-संस्कृति, पर्यावरणीय विविधता एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त कई ऐसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिन्हें विश्व के पटल पर लाया जाना आवश्यक है। इससे उस क्षेत्र में पर्यटकीय एवं अन्य अनुषंगी क्षेत्रों का विकास हो सकेगा।

2. उक्त प्रयोजन से राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी पदाधिकारियों / कर्मियों से उक्त स्थलों का भ्रमण कर संबंधित क्षेत्र के पर्यटकीय विकास एवं अन्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु सुझाव प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार सम्यक विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि:-

(i) बिहार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी पदाधिकारी / कर्मी प्रत्येक तीन माह में एक बार 02 दिनों (दो रात्रि सहित) के लिये सपरिवार राज्य की सीमा के अधीन किसी भी जिले में (गृह जिला छोड़कर) पर्यटकीय / ईको पर्यटकीय / ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। यह प्रवास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संबंधित कर्मी शुक्रवार एवं शनिवार को इन स्थलों

2

में रात्रि विश्राम अवश्य करें। इस दौरान वे आसपास के यथासंभव 03(तीन) स्थलों का भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करेंगे।

(ii) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-निरीक्षक/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/जिला पदाधिकारी/ वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं अन्य प्रमण्डल/जिला स्तरीय पदाधिकारी भी (अपने पदस्थापन से भिन्न जिलों में) 02 दिनों का पर्यटकीय स्थलों पर प्रवास करेंगे। इस दौरान वे आसपास के यथासंभव 3 स्थलों का भ्रमण एवं रात्रि विश्राम करेंगे।

(iii) इस भ्रमण के दौरान कोई भी पदाधिकारी अपने सरकारी कार्यों के उद्देश्य से समीक्षा बैठक एवं स्थल निरीक्षण नहीं करेंगे।

(iv) सभी पदाधिकारी भ्रमण के बाद पर्यटकीय स्थलों के फोटोग्राफ, स्थल से जुड़ी जानकारी एवं अपने अनुभव इत्यादि का समेकित प्रतिवेदन अपने पदस्थापन जिला के जिला पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त को तथा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारी अपने विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

(v) सभी जिला पदाधिकारी के कार्यालय/प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय तथा सभी विभाग में प्रतिवेदन को समेकित करने हेतु एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा। नोडल पदाधिकारी द्वारा समेकित प्रतिवेदन संबंधित विभाग यथा पर्यटन विभाग/ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा कला एवं संस्कृति विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

(vi) पर्यटन विभाग/जिला पदाधिकारी/वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि उन पर्यटकीय क्षेत्रों में पर्यटन/ईको पर्यटन हेतु होम-स्टे (Homestay) के विकास के लिये कार्य किया जाए ताकि होम-स्टे को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे पर्यटक स्थानीय निवासी के घर में भुगतान के आधार पर ठहर सकें। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा तथा पर्यटकों को प्रमाणिक, गहन सांस्कृतिक अनुभव के साथ स्थानीय भोजन, व्यक्तिगत आतिथ्य सत्कार इत्यादि का अनुभव भी प्राप्त हो सकेगा।

(vii) उक्त पर्यटकीय प्रवास की अवधि कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जाएगी।

W

4. इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारियों द्वारा पर्यटकीय स्थलों के भ्रमण की संभावना है। सभी जिला पदाधिकारी/पर्यटक स्थलों/ईको पर्यटक स्थलों पर पदाधिकारियों के ठहरने की सुविधाओं की समीक्षा कर लें। इस दौरान सरकारी गेस्ट हाऊस, प्राईवेट होटल से सम्पर्क स्थापित कर ठहरने एवं खान-पान की सुविधा (भुगतान के आधार पर) उपलब्ध कराने हेतु भी समीक्षा कर ली जाये। इस संबंध में उपलब्ध सूचनाओं को जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाए।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार पर्यटकीय स्थलों पर प्रवास के कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया जाय।

विश्वासभाजन

*Rajendra*  
20.5.2026

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

अपर मुख्य सचिव

सामान्य प्रशासन विभाग

बिहार, पटना।